

फाईनल डिक्ती व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी
1. नरेश कुमार पुत्र किस्तुरचंद
2. संतोषदेवी पत्नी नरेशकुमार
जातिगण सोनी निवासीगण गमना
गुरुवास शिवगंज जिला सिरोही

प्रतिवादीगण
बनाम 1-प्रकाशकुमार पुत्र हंसाजी जाति घांची
निवासी अरठवाडा तह0 शिवगंज
2-राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं0- 16/2024

दिनाक 19.02.2025

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादग्रस्त आराजी मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया-क्रे खसरा नं0 1103/1, 808/1104, 813, 814, 815, 816/1, 817/1105, 818/1106 कुल किता 8 कुल रकबा 2.6182 हैक्टर भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश किया, अतः वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्ती किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया के खसरा नं0 1103/1, 808/1104, 813, 814, 815, 816/1, 817/1105, 818/1106 कुल किता 8 कुल रकबा 2.6182 हैक्टर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा।

पक्षकारों को खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्ती आज दिनाक 19.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गयों।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)
शिवगंज

मुदाई	रूपया/पै.	मुद्रायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सभूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	-शून्य-

कमांक / कोर्ट / 2025 / 93
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

दिनांक 19.02.2025

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

1. नरेश कुमार पुत्र किस्तुरचंद
2. संतोषदेवी पत्नी नरेशकुमार जातिगण सोनी निवासीगण गमना गुरुवास शिवगंज जिला सिरोही

प्रतिवादीगण

- बनाम
- 1-प्रकाशकुमार पुत्र हंसाजी जाति घांची निवासी अरठवाडा तह0 शिवगंज
 - 2-राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 16/2024

-:निर्णय:-

दिनांक 19.02.2025

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 423 दिनांक 24.07.2024 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/कोर्ट/2024/721 दिनांक 17.12.2024 से वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया के खसरा नं0 1103/1, 808/1104, 813, 814, 815, 816/1, 817/1105, 818/1106 कुल किता 8 कुल रकबा 2.6182 हैक्टर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। आपसी सहमति से पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पूर्ण हुआ। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 94

प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 19.02.2025

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)